

कार्यालय सहायक अभियंता (विद्युत) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
उपखण्ड-प्रथम, जयपुर

क्रमांक:-प.( )अ.अ. विद्युत/वि.बो./13-15

दिनांक:-25.06.2019

सीमित निविदा सूचना

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.02.2019 के नियम एवं शर्तों के अनुसार इस उपखण्ड कार्यालय के उपयोग हेतु वर्ष 2019-20 के लिए अनुबन्ध के आधार पर टैक्सी (एम्बेसेडर/बोलेरो/इण्डिका/स्वीफ्ट डिजायर/तवेरा कार) व्यक्ति, फर्म, ट्रेवल एजेन्सी जिनके पास रजिस्टर्ड टैक्सी हो, से प्रतिमाह दरों के प्रस्ताव दिनांक 02.07.2019 को अपराह्न 11.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तें, नियम व प्रपत्र कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन मध्याह्न 12.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(हरीश फुलवारिया),  
सहायक अभियंता (विद्युत)  
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
उपखण्ड-प्रथम, जयपुर

क्रमांक:-प.( )अ.अ. विद्युत/वि.बो./13-15

दिनांक:-25.06.2019

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् महाप्रबंधक (प्रशासन), राज0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. श्रीमान् ए.सी.पी. (उपनिदेशक) राज0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।

(हरीश फुलवारिया),  
सहायक अभियंता (विद्युत)  
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
उपखण्ड-प्रथम, जयपुर

- :: निविदा प्रपत्र :: -

शर्तों के अनुसार मैं टैक्सी (एम्बेसेडर/बोलेरो/ इण्डिका/स्वीफ्ट डिजायर/ तवेरा कार) के लिए निम्नलिखित दर राशि ..... रूपये प्रतिमाह ..... कि.मी. के लिये किराये पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-विद्युत, जयपुर में देने का प्रस्ताव करता हूँ :-

क्र.सं.	गाड़ी का मैक मॉडल रजिस्ट्रेशन नं.	दर अंकों/शब्दों में
1.	टैक्सी नं.	
2.	मॉडल वर्ष	
3.	1500 कि.मी. तक	
4.	1500 कि.मी. से अधिक चलने पर	
5.	रात्रि विश्राम दर प्रति रात्रि	

**हस्ताक्षर निविदादाता**

निविदा मेरे द्वारा दिनांक ..... को खोली गई। निविदादाता द्वारा दरें निम्नानुसार दी गई:-

क्र.सं.	गाड़ी का मैक मॉडल रजिस्ट्रेशन नं.	दर अंकों/शब्दों में
1	1500 कि.मी. तक	
2	1500 कि.मी. से अधिक चलने पर	
3	रात्रि विश्राम दर प्रति रात्रि	

कार्यालय सहायक अभियन्ता (विद्युत), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
उपखण्ड—प्रथम, जयपुर

वर्ष 2019–20 के लिये कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में टैक्सी एम्बेसेडर/बोलेरो/  
इण्डिका/स्वीफ्ट डिजायर/तवेरा कार किराये पर लेने हेतु नियम व शर्तें

1. कार टैक्सी ही होनी चाहिए व वर्ष 2015 या उसके बाद का मॉडल होना चाहिए तथा अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए।
2. प्रार्थी निविदा की दर 1500 कि.मी. प्रतिमाह को आधार मानकर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करे।
3. अनुबंधित वाहन हर कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक कार्य करेगा।
4. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर राजपत्रित अवकाशों में या प्रातः 9.00 बजे से पूर्व या सांय 8.00 बजे के पश्चात् भी आवश्यकता पड़ने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
5. अनुबंधित वाहन जयपुर रीजन से बाहर जाने पर रात्रि विश्राम पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. वाहन को गैर हाजिर होने पर जुर्माना:—
  - (अ). बिना पूर्व अनुमति के एक माह में दो दिन तक गैर हाजिर होने पर 250/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जायेगी।
  - (ब). राजपत्रित अवकाश को शामिल करते हुए 3 दिन से 6 दिन तक गैर हाजिर होने पर 500/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जायेगी।
  - (स). एक माह में लगातार 7 दिन या इससे अधिक अवकाश दिवस व राजपत्रित अवकाश को शामिल करते हुए गैर हाजिर रहने पर 750/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जायेगी।
7. वाहन की लॉग बुक वाहन चालक के पास ही रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन की यात्रा प्रतिदिन लॉग बुक में दर्ज करवानी होगी।
8. किसी भी प्रकार की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड—विद्युत, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा। वाहन का बीमा प्रथम पार्टी का करवाया जाना आवश्यक होगा।
9. डीजल/पैट्रोल/ऑयल/मरम्मत एवं चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को करना होगा।

10. अनुबंधित वाहन के मरम्मत में रहने पर अथवा अन्य कारण से गैर हाजिर होने पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
11. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या चालान होने पर वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होगी एवं बोर्ड उसका किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देगा।
12. अनुबंधित वाहन पर एक ही चालक कार्यरत रहेगा एवं हर बार चालक नहीं बदला जायेगा। वाहन चालक अनुशासित एवं विनम्र होना चाहिए। यदि चालक का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा तो वाहन मालिक को चालक को 3 दिवस में बदलना होगा।
13. प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे वाहन की टंकी में ईंधन फुल करवाकर चालक को भिजवाया जावेगा।
14. वाहन में लगा हुआ मीटर सील किया हुआ आवश्यक है, जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जायेगा। यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
15. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-विद्युत, जयपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये कहीं भी/कभी भी वाहन को हटा सकते हैं। इस परिस्थितियों में कितने दिन वाहन का उपयोग किया गया, उतने दिन का भुगतान किया जावेगा।
16. प्रतिदिन वाहन सही हालत में उपलब्ध कराना होगा। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होने पर उस दिन वाहन की अनुपस्थिति अंकित कर दी जायेगी एवं उसके स्थान पर बाजार से वाहन लेने पर क्षतिपूर्ति बिल से कर ली जावेगी।
17. वाहन के प्रतिदिन कार्यालय में प्रवेश करते समय एवं सांयकाल कार्यालय छोड़ते समय बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास गाड़ी की दैनिक रीडिंग नोट करवानी होगी एवं उसी दिन की लॉग बुक की प्रविष्टि दिखानी होगी, अन्यथा उसी दिन की उस वाहन की अनुपस्थिति मानी जायेगी।
18. निविदादाता को अपनी दर इसी प्रपत्र में अंकित करनी होगी। बोर्ड कोई अन्य प्रपत्र स्वीकार्य नहीं करेगा।
19. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विद्युत उपखण्ड-प्रथम, जयपुर की शर्तों के अलावा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय समय पर किये गये संशोधन आदेश मान्य होंगे।
20. अनुबंधित वाहन का बिल भुगतान हेतु माह समाप्ति के बाद 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. प्रतिदिन नियमित रूप से आने वाली टैक्सी के संबंध में टोल टैक्स व इस वाहन के राज्य के बाहर जाने की दशा में स्टेट टैक्स बोर्ड द्वारा देय होगा, किन्तु आकस्मिक रूप से मंगवाये गये वाहन को राज्य से बाहर ले जाने पर वाहन मालिक को स्टेट टैक्स का भुगतान स्वयं करना होगा। टोल टैक्स बोर्ड द्वारा वहन किया जावेगा।

22. एक माह में 1500 कि.मी. से अधिक चलने पर अतिरिक्त कि.मी. के लिये प्रति कि.मी. की दर अनुबंधानुसार पृथक से देय होगी।
23. सर्विस टैक्स का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण बोर्ड द्वारा किया जायेगा, किन्तु किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान/पेनल्टी आदि की जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होगी।
24. संवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लॉग बुक यात्रा पूर्ण करने पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
25. वाहन निविदा के साथ स्वयं के नाम से/फर्म के नाम से वाहन के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
26. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

**नोट:—** सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

**हस्ताक्षर निविदादाता**